

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

दिनांक:-30/10/2025

क्रमांक:-भू.अ./2025/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन लाल पिता/पत्नि शेर लाल निवासी.....
ओड़ु-२६ पटवार हल्का ओड़ु-२६ के राजस्व ग्राम ओड़ु-२६ में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की
खाता संख्या ३२२ में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन रतन लाल
शेर लाल किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम/जिम्मन रतन लाल का अंकन
राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। शेर लाल

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

Rdw
तहसीलदार चित्तौडगढ
जिला चित्तौडगढ(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/956

दिनांक:-30/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का ओड़ु-२६

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रतन लाल पिता/पत्नि शेर लाल राजस्व
ग्राम ओड़ु-२६ पटवार हल्का ओड़ु-२६ की खाता संख्या ३२२ में जाति/नाम/जिम्मन रतन लाल S/O शेर
दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है।
तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम/जिम्मन सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतन लाल पिता/पत्नि शेर लाल की जाति/नाम/जिम्मन रतन लाल S/O
शेर लाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है।
पटवार हल्का ओड़ु-२६ राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ